वारदात | अंधी हत्या की गुत्थी सुलझी, पड़ोसी निकला कातिल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पहचान उजागर के डर से कर दी थी वृद्धा की हत्या

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत हनुमान नगर अन्ना बाबा के पीछे बड़ा पत्थर में 75 वर्षीय महिला पुष्पा शर्मा की हुई नृशंस हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी निकला। आरोपित ने वृ द्धा के घर में चोरी की योजना बनाई थी जो फेल हो गई थी । चोरी करते समय वृद्धा द्वारा पहचान लेने पर आरोपित ने उसकी हत्या कर दी थी।

विदित हो कि सुनील शर्मा 55 वर्ष निवासी हनुमान नगर बड़ा पत्थर के घर के बाजू में उसकी बड़ी बहन पुष्पा शर्मा 75 वर्ष रहती थीं। 26 मई की रात लगभग 8 बजे अपने घर सोने के लिये चली गयीं थीं, 27 मई की रात लगभग 9 बजे तक घर के बाहर नहीं आयी तो सुनील शर्मा अपने दोस्तों के साथ बहन के घर पहुंचा था। घर के बाहर बाउण्ड्री के गेट अंदर से बंद था बाउण्ड्री के उपर से सभी अंदर आंगन में आये कमरे के गेट का एक पल्ला खुला हुआ था। कमरे में फर्श व दीवाल पर खून के निशान व खून के घसीटने के निशान बने थे। मुख्य गेट पर कपड़े गाउन चादर एक जोड़ी चप्पल दरवाजे के पास पड़ी थी सभी लोग खून के घसीटने के निशान को देखते हुये आंगन में कुएं तरफ गये देखा तो पुष्पा शर्मा का शव कुएं के अंदर पानी में उतरा रहा था जिसकी मौत हो चुकी थी।

गगरिया से किए पांच वार, मंगलसूत्र-पायल लूटी, कुएं में फेंका

थाना प्रभारी रांझी उमेश गोल्हानी ने बताया कि पूछताछ, विवेचना के दौरान यह बात सामने आई कि मृतिका का पड़ोसी रामगोपाल मिश्रा उर्फ गोपाल उसके घर पास देखा गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि पुष्पा शर्मा के लडके राजू से उसकी जान पहचान है जिसके घर भी वह आता जाता रहता था।

पुष्पा शर्मा अपने बड़े लड़के राजू के साथ रहती थी एक हफ्ते से राजू अपने गांव गया था, पुष्पा शर्मा घर में अकेली रह रही थी तो उसने सोचा कि पुष्पा शर्मा के घर में घुसकर चोरी कर लूंगा ऐसा प्लान करके 26 मई को रात करीबन 10:30 बजे वाउण्ड्री के ऊपर से कूदकर आँगन में पहुंचा और इसके बाद कमरे में गया और अलमारी खोलकर देखने लगा तभी पुष्पा शर्मा घर के अन्दर किचन तरफ से कमरे में आ गयी और उसे पहचान ली पानी की गगरिया उठाकर मुह व सिर मे 4-5 बार जोर से मारा जिससे पुष्पा घायल हो गयी जिसके बाद पुष्पा के गले का मंगलसूत्र, पैर मे पहनी पायल निकाल ली और पुष्पा को घसीटते हुए आँगन में ले जाकर कुएं के अन्दर फेंक दिया ताकि जिन्दा न बचे।

घर पहुंच कातिल ने किया स्नान, खून लगी शर्ट धोई, लूटा गया माल छुपाया

नगर पुलिस अधीक्षक रांझी सतीष कुमार साहू ने बताया कि आरोपी हत्या के बाद जल्दबाजी में छत के रास्ते बगल वाले प्लाट में कूदकर पीछे की कुलिया से अपने घर के सामने पहुंचा, घर के अन्दर चला गया और नहा लिया व पहनी हुई खून लगी शर्ट को भी धो लिया था, पुष्पा शर्मा से लूटा हुआ पैंडिल व पायल एक पॉलिथिन मे बाँधकर अपने घर के कमरे में बैग के अन्दर छुपाकर रख दिया अगले दिन शाम को घटना के बारे में लोगों के पता चलने लगा तो वह घबराकर अपने घर से ग्वारीघाट भाग गया था और यहां वहां छिपता रहा। पुलिस ने आरोपी रामगोपाल मिश्रा उर्फ गोपाल पिता रामहेत मिश्रा 45 वर्ष निवासी हनुमान नगर, अन्ना बाबा के पास थाना राँझी को गिरफ्तार कर जेवर, आदि जब्त किया ।

शिकायत की कार्रवाई से नाराज बदमाश ने कॉलोनी अध्यक्ष को धमकाया

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत रेवा नगर में एसडीएम के निर्देश पर अवैध बोरिंग रुकवाने की हुई कार्रवाई से नाराज बदमाश ने कॉलोनी के अध्यक्ष को सरेराह जान से मारने की धमकी दे डाली । पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी नारायण गौ सेवा न्यासपीठ एवं रेवानगर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष महंत आशीष दास निवासी रेवा नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सार्वजनिक सड़क पर बिना अनुमति के मशीन द्वारा बोरिंग की जा रही थी। सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और तत्काल इसकी जानकारी मोबाइल फोन के माध्यम से एसडीएम अधारताल को दी। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और उनके स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर बोरिंग मशीन को जब्त करने की कार्रवाई की थी। महंत आशीष दास ने बताया कि प्रशासन की इस कार्रवाई की रंजिश को लेकर जब वे अपने घर से ग्वारीघाट दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी कॉलोनी के रहने वाले संतोष रजक ने उन्हें अपने घर के सामने जबरन रोक लिया।

क्रूरता : ठूंस-ठूंस कर मवेशियों को ले जा रहे पिकअप ने बुजुर्ग को कुचला

नवभारत, जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत हनुमान मंदिर के सामने एक तेज रफ्तार पिकअप के चालक ने मंदिर से लौट रहे एक बुजुर्ग को बेरहमी से कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटनाग्रस्त पिकअप में क्रूरता पूर्वक 6 भैंसों कोठूंस-ठूंस कर भरा गया था। पुलिस ने प शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, श्रीराम कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रहे छात्र प्रवीन पटेल के दादा देवी प्रसाद पटेल हनुमान जी के मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद घर लौट रहे थे। तभी मंदिर के ठीक सामने पिकअप क्रमांक एमपी 20 जीबी 4237 का चालक वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए आया और बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग देवी प्रसाद सीधे पिकअप गाड़ी के नीचे आ गए और काफी दूर तक घिसट गए। इस दर्दनाक हादसे में उनके दोनों पैर, हाथ, सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर आए हैं। घटना को मौके पर मौजूद नरेंद्र केवट और अजीत पटेल ने देखा और शोर मचाया। शोर सुनकर प्रवीन पटेल और उनके पिता विनोद कुमार पटेल भी तुरंत मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ बुजुर्ग देवी प्रसाद को परिजन तत्काल पनागर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से प्राथमिक उपचार के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल जबलपुर रेफर कर दिया। वर्तमान में बुजुर्ग आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।

बेजुबान जानवरों को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ

हादसे के बाद जब परिजनों और स्थानीय लोगों ने पिकअप वाहन की तलाशी ली, तो दंग रह गए। पिकअप के भीतर 6 भैंसें बेहद अमानवीय तरीके से ठूंसकर भरी हुई थीं। एक्सीडेंट के बाद सहमे बेजुबान जानवर दर्द और दम घुटने के कारण जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। उन्हें सांस लेने में भी भारी तकलीफ हो रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने जब पिकअप चालक परवेज खान पिता नियाज खान को दबोच लिया जिसे पुलिस के हवाले किया गया ।

कार्यालय पर कब्जे की नीयत से आए गुंडों ने अधिवक्ता को पीटा, कपड़े फाड़े

नवभारत,जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत वृद्धाश्रम के पास एक अधिवक्ता के कार्यालय पर जबरन कब्जा करने की नीयत से आए बदमाशों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया। जब अधिवक्ता और उनके साथी ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और लात-घूसों से बेरहमी से मारपीट की। पुलिस के मुताबिक गढ़ा के झंडा चौक निवासी अधिवक्ता अतुल पटैल (32) का तिलवारा क्षेत्र में वृद्धाश्रम के पास एक कार्यालय है। गत शाम करीब 7 बजे अधिवक्ता अतुल अपने दोस्त राकेश जयसवाल के साथ ऑफिस में मौजूद थे। इसी दौरान धनवंतरीनगर संजीवनीनगर निवासी विवेक चक्रवर्ती और विनय चक्रवर्ती अपने 2-3 अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे और जबरन दुकान का ताला तोड़ने लगे। अधिवक्ता अतुल और उनके साथी राकेश ने जब ताला तोड़ने का विरोध किया, तो आरोपी भड़क गए। आरोपियों ने हमला कर दिया। मारपीट इतनी बर्बर थी कि पीड़ितों के कपड़े फट गए। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस हमले में अधिवक्ता अतुल की गर्दन और उंगली में तथा राकेश की कोहनी और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं।

21 पौधों का रोपण कर दिया गया पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य का संदेश

▸ चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयाजक के आव्हान पर निभाई सहभागिता

नवभारत, जबलपुर। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विशाल सिंह बघेल के आह्वान पर चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यालय त्रिवेदी डेंटल सेंटर में वृक्षारोपण हुआ। यहाँ 21 वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण व हरित भविष्य का संदेश दिया गया। उपस्थित चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं तथा पर्यावरण संतुलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रदेश सह-संयोजक डॉ. अश्विनी कुमार त्रिवेदी, महानगर संयोजक डॉ. विवेक जैन, कार्यक्रम प्रभारी डॉ. शुभम अवस्थी, डॉ. शिल्पी अग्रवाल, डॉ. सचिन बधुलिया, राकेश गुप्ता, डॉ. वीरेंद्र साहू, डॉ. अमरीश पाण्डेय, डॉ. श्रीकांत साहू, डॉ. ऋषि उपाध्याय एवं शशांक शर्मा सहित अनेक चिकित्सक उपस्थित रहे। अंत में सभी ने 'एक वृक्ष - एक संकल्प, स्वच्छ एवं हरित भविष्य की ओर' का संदेश जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।

दो सूने मकानों के ताले टूटे, नकदी, जेवर और एक्टिवा समेत लाखों का माल पार

नवभारत, जबलपुर। संजीवनी नगर और रांझी थाना क्षेत्रों में चोरों ने सूने मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर, नकदी, बर्तन और एक्टिवा गाड़ी चोरी कर ली है। पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार संजीवनी नगर थाना अंतर्गत गंगानगर निवासी अश्वनी कुमार जायसवाल (29) पेशे से ऑटो चालक हैं, 4 जून की सुबह करीब 10:30 बजे वह अपना ऑटो लेकर काम पर गए थे। शाम करीब 4 बजे उनकी पत्नी चिंकी जायसवाल भी अपने मायके गुजराती कॉलोनी चली गईं। रात में जब अश्वनी खाना खाने घर लौटे, तो मेन गेट और अंदर वाले गेट के ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर लोहे की अलमारी खुली थी और सामान बिखरा पड़ा था। लॉकर में रखे सोने के कान के लटकन, एक पांचाली और पूजा स्थल पर रखी 15 हजार रुपये की नकदी गायब थी। इतना ही नहीं, चोर आंगन में खड़ी एक्टिवा क्रमांक एमपी 20 एस वाय 4885 भी चुरा ले गए। दूसरा मामला रांझी थाना क्षेत्र का है, जहां एकता कॉलोनी बिलपुरा की रहने वाली श्रीमती चंदा बाई चौधरी (36) के घर को चोरों ने निशाना बनाया। चंदा बाई ने बताया कि 3 जून 2026 को दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी बेटी खुशबू की तबीयत खराब होने पर घर में ताला लगाकर इलाज कराने घमापुर अस्पताल गई थीं। रात अधिक होने के कारण वह चांदमारी घमापुर में अपने भाई के घर रुक गईं। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली रीता चौधरी ने फोन पर सूचना दी कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। चंदा बाई ने घर आकर देखा तो ताला टूटा था। चोर घर के अंदर से सोने के टॉप्स, चांदी की पायल, एक चूड़ी सहित भारी मात्रा में कीमती बर्तन बटोर ले गए।

मानकुंवर बाई कॉलेज में पर्यावरण दिवस पर व्याख्यान

नवभारत, जबलपुर। शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. स्मृति शुक्ल के संरक्षण एवं भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. ब्रह्मानंद त्रिपाठी के मार्गदर्शन में हुआ, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। व्याख्यान के पश्चात भूगोल विभाग की 52 छात्राओं की उपस्थिति में 'कदम्ब' वृक्ष का रोपण भी किया गया।डॉ. बसंती अग्रवाल के संचालन और डॉ. हर्षा सिसोदिया के आभार के साथ संपन्न इस कार्यक्रम में डॉ. सपना चौहान, डॉ. वंदना गुप्ता, डॉ. रागिनी उपाध्याय, डॉ. बी. एल. आर्मो, डॉ. शिवम शुक्ला, डॉ. नेहा शाक्य, डॉ. धीरज झा, डॉ. सविता तिवारी, डॉ. बबीता यादव, डॉ. मोनिका बबेले, डॉ. मंजू सिंह और डॉ. संदीप यादव उपस्थित रहे।

आज भी पर्यावरण जागरूकता आवश्यक : साधना उपाध्याय

नवभारत,जबलपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिलन हीरक जयंती वर्ष के अंतर्गत मिलन महिला एवं बाल प्रभाग द्वारा ऑनलाइन पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संवर्धन तथा वर्तमान समय में पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि साधना उपाध्याय ने कहा कि आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन गया है। सारस्वत अतिथि के रूप में डॉ. अनामिका तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में गीता शरद तिवारी एवं रत्ना ओझा उपस्थित रहीं। ऑनलाइन आयोजित हुई संगोष्ठी में आशालता गिरीश विल्लोरे, सुलभा बलराम वर्मा, सनी शर्मा, डॉ. सुलक्षणा त्रिपाठी, डॉ. तृप्ति श्रीवास्तव, रश्मि पांडे शुभी, अर्चना मलैया, डॉ. उमा मिश्रा एवं प्रीति सहित अनेक प्रतिभागियों ने पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रतिभागियों ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली और प्रकृति संरक्षण के प्रति जनजागरण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। संगोष्ठी के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित प्रेरक काव्य प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की भूमिका मिलन महामंत्री डॉ. मुकुल तिवारी ने प्रस्तुत की, वहीँ सरस्वती वंदना डॉ. दीपशिखा पांडे द्वारा तथा स्वागत गीत एवं संचालन डॉ. प्रीति श्रीवास्तव ने किया।

कलेक्टर- एसपी ने गढ़ा थाने में किया पौधरोपण

नवभारत,जबलपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने गढ़ा थाने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास का संदेश दिया। इस अवसर पर अधिकारियों ने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने, पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।

घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर को मिला समय पर उपचार

नवभारत,जबलपुर। कैंट विस विधायक अशोक ईश्वर दास रोहाणी के निर्देश एवं क्षेत्रीय पार्षद बहन कृष्णा दास चौधरी के प्रयासों से एक घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर को समय पर उपचार उपलब्ध कराया गया। सी.एम.एम. जंगल क्षेत्र से बाहर आए मोर के घायल होने की सूचना क्षेत्र निवासी सतीश सारथी द्वारा पार्षद को दी गई। जिसके बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल मोर को वेटरनरी अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय नागरिकों ने राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण के लिए विधायक , पार्षद एवं वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

जबलपुर मंडल में वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जबलपुर, नवभारत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जबलपुर रेल मंडल में वृक्षारोपण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।इसी क्रम में जबलपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण कार्यालय के प्रांगण में स्टेशन निदेशक किशोर देवारे, स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) रविकांत कुमार , स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश प्रसाद गुप्ता एवं अन्य वाणिज्य स्टाफ द्वारा पौधरोपण किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय रेल चिकित्सालय, जबलपुर परिसर में चिकित्सा निदेशक डॉ. अशोक कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र दीक्षित के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 25 पौधों का रोपण किया गया।

पश्चिम मध्य रेल

इंजीनियरिंग निर्माण शाखा

खुली निविदा (एकल पैकेज प्रणाली) ई. निविदा क्रमांक डिप्टीसी.ई.-सी-सीधी-01-2026, दिनांक: 02.06.2026

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल, सीधी, भारत सरकार के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु **ई. निविदा नोटिस क्रमांक डिप्टीसी.ई.-सी-सीधी-01-2026, दिनांक-02.06.2026** के द्वारा आमंत्रित करते हैं। निविदाएं बंद होने की तारीख **29.06.2026** एवं समय **15:00** बजे तक है। निविदाकर्ता अपनी मूल/संशोधित निविदा बंद होने के दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त निविदा में हस्त निविदाएं स्वीकार्य नहीं होगी तथा हस्तनिविदाओं को उपेक्षित कर दिया जायगा। निविदाएं पूर्व उल्लेखित समय एवं दिनांक पर खोली जाएगी। **निविदा क्र.:** डिप्टी सी.ई. सी सीधी 01 2026 दिनांक 02.06.2026, **कार्य का नाम लोकेशन सहित:** रेलवे विनिर्देश IS/RDSO-GE /0001:2023 के अनुसार 65 मिमी मशीन क्रश्ड कंकर एवं टिकाऊ ट्रेक स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति, ढेर लगाना (स्टैकिंग) एवं लोडिंग. जिसमें समस्त लीड, लिफ्ट, कर, रॉयल्टी, शुल्क आदि सम्मिलित है. का कार्य उप मुख्य अभियंता/निर्माण/सीधी के अधीन चुस्ट डिपो में किया जाना। **निविदा का अनुमानित मूल्य:** रू 54386336.42, **निविदा फार्म की (कीमत रूपये):** रू 0.00, **बयाना राशि (रूपये में):** रू 1087700.00, **कार्य समापन अवधि (माह):** 06 महीने मान्सून सहित, **ई-निविदा बंद होने की और खुलने की तिथि एवं समय:** दिनांक -29.06.2026 को 15:00 बजे बंद एवं 15:00 बजे के बाद खोली जाएगी। बोली आरंभ तिथि: 15.06.2026, निविदाकर्ता अपनी निविदाएं आई.आर.ई.पी.एस के माध्यम से **http://www.ireps.gov.in** पर आनलाइन निविदा करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है, कि वे समय समय पर बदलाव व शुद्धि पत्रों हेतु आई.आर.ई.पी.एस. की वेबसाईट **http://www.ireps.gov.in** देखते रहे। न्यूनतम पात्रता मानदंड टेन्डर फार्म के अनुसार इन निविदाओं के लिए लागू होगा।

(हस्ता)
उप मुख्य अभियंता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेल, सीधी

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित रेग्यूलेशन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में अंकित राशि चुकाने को कहा था, देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता, ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन मे निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है, देनदारों व जनता को संपत्ति मे लेनदेन नहीं करने का आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल को देनदारों के अधीन होगा, देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है, यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु बची तिथि से पहले किसी भी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियर कर देता है तो सिक्योर्ड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री सुनील ठाकुर, श्रीमती रजनी ठाकुर (प्रॉस्पेक्ट नं. 977915)	पटवारी हल्का संख्या 116, खसरा संख्या 501, ग्राम कंदलोड़ा, तहसील पनागर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश 483220 में स्थित संपत्ति. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल: 900 वर्ग फुट.	रुपये 211678/- (रु. दो लाख ग्यारह हजार छह सौ अट्ठहत्तर मात्र)	09/03/2026	03/06/2026
श्री भैया लाल चौधरी, श्री राम किशोर पमार, श्रीमती रजनी चौधरी, क्लॉथ सिलाई वर्क, वेल्डिंग वर्क शॉप (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10710960)	खसरा नं. 56, हल्का नं. 49, ग्राम मुरैया, तहसील मझौली, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत, 483222 की पूरी संपत्ति. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 600 वर्ग फुट.	रुपये 213150/- (रु. दो लाख तेरह हजार एक सौ पचास मात्र)	09/03/2026	03/06/2026

विवरण हेतु संपर्क प्रा. अधिकारी **शाखा कार्यालय:** 249, द इनफिनिटी, प्रथम तल एम.पी. नगर, जोन 2, तुलसी होटल के पास, भोपाल 462011 तथा **कार्पोरेट ऑफिस** प्लॉट नं. 98, फेज IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- जबलपुर, दिनांक- 6-6-2026 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 29-दिसंबर-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति, फीनिक्स आर्ट लिमिटेड (पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को सौंप दिए हैं, जो फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है - ट्रस्ट एफएचवी 26-14

(फीनिक्स) सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए. अतः, उक्त आवंटन के मद्देनजर, फीनिक्स अब IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और फीनिक्स उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्गित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है.

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	डिस्चार्ज एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री जितेंद्र भट्ट श्रीमती रानी बाई भट (ऋण खाता संख्या: आईएल10324606)	08 - जितेंद्र - डिन्डूआवाड़ा - सिवनी - की पूरी संपत्ति सिवनी - मध्य प्रदेश - 480661 - भारत. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल: 450.00, 340.00, 430.00.	रुपये 215134/- (रु. दो लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौंतीस मात्र)	16/10/2025	03/06/2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के प्रभार के अधीन होगा. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है संपत्ति.

स्थान: जबलपुर, दिनांक 6-6-2026 — हस्ता. अधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन क्रमांक-U67190MH2007PLC168303 वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वॉलेस टावर्स, 139/140/B/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे का चौराहा, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400057. दूरभाष: +91 02268492450.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड**